न्यायालय उप जिलाधिकारी, भाटपाररानी जनपद देवरिया ।

वाद संख्या– 09 / वर्ष– 2013

राजेन्द्र बाबू महाविद्यालय, वनकटटियादूबे ।-------------------वनाम--------------- ------- सरकार ।

मौजा–वनकटियादूबे तप्पा सोहनपुर परगना –स0म0
तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया ।
अंतर्गत धारा 143 उ0प्र0ज0वि0अधि0 ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अंतर्गत वादी राजेन्द्र बाबू महाविद्यालय, वनकटिया दूबे द्वारा प्रबन्धक, विनोद पुत्र राजेन्द्र साकिन–जगदीशपुर तप्पा सोहनपुर तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया द्वारा योजित कर अभिकथन किया गया है कि आराजी नम्बर 271मि0 रकवा 0–113 हे0 व 272 मि0 रकवा 0–910 हे0 आवादी के सकल में है तथा विवादित भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन से भिन्न है। मौके पर राजेन्द्रबाबू महाविद्यालय, वनकटियादूवे का कब्जा भवन व क्रीड़ास्थल के रूप मे है। उक्त रकवा जोती–बोई नहीं जाती है। अंत में उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में तहसीलदार,भाटपाररानी से आख्या प्राप्त की गयी, जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार,भाटपाररानी की आख्या दिनांक 31–5–2013 में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर राजेन्द्रबाबू महाविद्यालय, वनकटियादूवे का भवन व कीडास्थल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है,ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अंतर्गत घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया गया । तहसीलदार,भाटपाररानी की आख्या दिनांक 31–5–2013 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्डो पर कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त के अवलोकन से प्रश्नगत भूखण्डो को अकृषिक (कृषि, वागवानी या पशुपालन जिसमें मत्स्य पालन, कुकुटपालन भी सम्मिलित है से असम्बद्ध।)घोषित करने में कोई विधिक बाधा नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतःआदेश दिया जाता है कि ग्राम वनकटियादूवे तप्पा सोहनपुर परगना सलेमपुर मझौली तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया स्थित खतौनी वर्ष 1420 लगायत 1425 फ0 के खाता संख्या 0078 के आराजी 271 मि0 रकवा 0–113 हे0 व 272 मि0 रकवा 0–910 हे0 भूमि वर्तमान लगान को वर्तमान उपयोग के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू–व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत आवासीय कृषि उद्यानीकरण एवं पशुपालन जिसमें मत्स्य पालन, कुकुट पालन भी सम्मिलित है से असम्बद्ध प्रयोजनों हेतु प्रख्यापित किया जाता है। तद्नुसार परवाना जारी हो। उ0प्र0ज0वि0एवं भू0–व्य0अधि0 की धारा 143 के अंतर्गत परवाने की एक प्रति भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में अन्य व्यवस्था होने के बावजूद उसे विहित रीति से बिना शुल्क रजिस्टर्ड करने हेतु उप निबन्धक, भाटपाररानी को भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

05.06.13
(व्रजेन्द्र द्विवेदी)
उप जिलाधिकारी,
भाटपाररानी।

दिनांक–

05/6/13

868
5/6/013
700
75.
5/6/013
5/6/013
05/6/13